

अंक 33 | संख्या 8 | अगस्त 2026



मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन



सुनवाई

हरियाणा में बधुआ मजदूरी के मामले

सुर्खियाँ

बालश्रम

लेख

नाविकों का मानसिक स्वास्थ्य: एक
अनसुलझा मानव अधिकार मुद्दा

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 | संख्या 8 | अगस्त 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव

श्री पीयूष गोयल

संपादक

जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है।
गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूजलेटर में
प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः
प्रकाशित कर सकते हैं।



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन एसबीपीएनपीए, हैदराबाद, तेलंगाना में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन हरियाणा में ईट-भट्टों में बंधुआ मजदूरी के मामलों की ऑनलाइन सुनवाई को संबोधित करते हुए

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

- 1 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

सुनवाई

- 2 हरियाणा में बंधुआ मजदूरी के मामले

सुर्खियां

- 3 बाल श्रम

लेख

- 6 नाविकों का मानसिक स्वास्थ्य: एक अनसुलझा मानव अधिकार मुद्दा

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

- 7 स्वतः संज्ञान
- 11 राहत संबंधी सिफारिशें
- 11 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
- 12 केस स्टडी
- 13 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

- 14 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

शोध अध्ययन

- 19 भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं का अध्ययन

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- 21 हैदराबाद के एसबीपीएनपीए में आईपीएस परिवीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 23 अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रम
- 24 ज्ञानार्जन दौरे

नवीन नियुक्ति

- 25 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार
- 26 संक्षेप में समाचार
- 29 आगामी कार्यक्रम
- 29 जुलाई 2026 में प्राप्त शिकायतें

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) शिकायत निवारण, सुनवाई, जांच, शोध और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों और गतिविधियों के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के अपने दायित्व को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। आयोग के कार्य के विविध आयामों को दर्शाते हुए, आयोग के न्यूजलेटर के इस अंक में जुलाई 2026 माह के दौरान आयोग की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इस आयोग की प्रमुख उपलब्धि हरियाणा में बंधुआ मजदूरी के मामलों की ऑनलाइन सुनवाई थी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने की। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का प्रभावी कार्यान्वयन इस शोषणकारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए राज्य अधिकारियों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। इसके लिए, आयोग द्वारा जोर दिए गए अनुसार, बंधुआ मजदूरों की समय पर पहचान, बचाव और पुनर्वास आवश्यक है।

सुर्खियों का एक महत्वपूर्ण विषय - बाल श्रम - पर प्रकाश डालता है, जिसमें कमजोर समूहों की सुरक्षा और गरिमा, समानता और समावेश के सिद्धांतों को बनाए रखने की निरंतर आवश्यकता पर बल दिया गया है।

न्यूजलेटर में नाविकों के अधिकारों और कल्याण पर केंद्रित एक लेख भी शामिल है, जो इस अपरिहार्य कार्यबल द्वारा सामना की जाने वाली मानव अधिकार चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है और उनके लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है। समय-समय पर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (एनएचआरसी) ने संस्थागत कार्य समूहों और ओपन हाउस चर्चाओं के माध्यम से नाविकों के अधिकारों के मुद्दों को उठाया है, जिसमें अवैध भर्ती और "सुविधा का ध्वज" जैसी खामियों को लक्षित किया गया है, जो जहाज मालिकों को सख्त श्रम कानूनों, सुरक्षा नियमों और कर दायित्वों को दरकिनार करते हुए विदेशी देशों में जहाजों को पंजीकृत करने में सक्षम बनाती हैं। ये चर्चाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे यह प्रथा नाविकों को न्यायिक रूप से अधर में छोड़ देती है, जिससे परित्याग, अवैतनिक वेतन या दुर्यवहार के लिए मालिकों को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है।

आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने के माध्यम से की गई सक्रिय कार्रवाई मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों पर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इसके साथ ही, पाठकों को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने संबंधी आयोग की सिफारिशों, महत्वपूर्ण केस स्टडी और मौके पर की गई जांचों के बारे में अद्यतन जानकारी मिलेगी, जो जवाबदेही, न्याय और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

इस संस्करण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों का विवरण है। राज्य अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ उनकी बातचीत से जमीनी हकीकतों की बहुमूल्य जानकारी मिलती है और आयोग की निगरानी व्यवस्था मजबूत होती है। राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

आयोग मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देता है। न्यूजलेटर में शोध अध्ययनों पर एक खंड में आयोग द्वारा प्रायोजित 'भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं पर एक अध्ययन' की संक्षिप्त परिणाम रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। साक्ष्य-आधारित यह अध्ययन सूचित नीतिगत हस्तक्षेपों में योगदान देने और कमजोर समूहों के संरक्षण को मजबूत करने का प्रयास करता है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पुलिस व्यवस्था में मानवाधिकारों को मुख्यधारा में लाने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, आयोग ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) के साथ साझेदारी में आईपीएस परीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य भावी पुलिस नेताओं को मानवाधिकारों की गहरी समझ प्रदान करना था। संवैधानिक मूल्यों, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के बारे में। इस अंक में इस घटना पर एक रिपोर्ट शामिल है।

विभिन्न मुद्दों पर लिखे गए इन लेखों के माध्यम से, न्यूजलेटर का यह अंक मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में आयोग के कार्यों के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। हमें आशा है कि ये लेख आपको रुचिकर लगेंगे।

पीयूष गोयल

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुनवाई

हरियाणा में बंधुआ मजदूरी के मामले

सं वैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, बंधुआ मजदूरी मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक है, जो व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता, गरिमा और आजीविका से वंचित करती है। प्रभावित व्यक्तियों की समय पर पहचान, बचाव और पुनर्वास की आवश्यकता को समझते हुए, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) बंधुआ मजदूरी के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और प्रवर्तन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन प्रयासों के तहत, आयोग ने 9 जुलाई 2026 को हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्थित ईट भट्टों से संबंधित बंधुआ मजदूरों के कथित 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) श्री इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त श्री विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अधिकतर मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की गई थी। इसलिए, उनके पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी की शिकायत की जांच के लिए गठित टीम के गठन के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कहा गया। उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए श्रमिकों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करने हेतु एक हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी के मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने आयोग के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु जारी परामर्शी 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने जिला प्रशासकों द्वारा विचाराधीन शिकायतों पर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी के मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।



► बंधुआ मजदूरी के मामलों की सुनवाई जारी

सुर्खियां

बाल श्रम

हर साल 12 जून को बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बाल श्रम को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और संतुष्टिपूर्ण बचपन मिले। लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार आज भी सबसे गंभीर मानव अधिकार चुनौतियों में से एक है और गरीबी, असमानता और सीमित शैक्षिक अवसरों के बीच एक निरंतर सामाजिक-आर्थिक समस्या बनी हुई है।

जून 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और यूनिसेफ के बाल श्रम संबंधी वैश्विक अनुमान 2024 के अनुसार, लगभग 13 करोड़ बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या विकास के लिए खतरा है। हालांकि 2020 से अब तक बाल श्रम में 2 करोड़ से अधिक बच्चों की कमी

आई है, फिर भी दुनिया 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 21ए और 24 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें शोषण से बचाता है, जबकि अनुच्छेद 39 (ई), 39 (एफ) और 45 इन सुरक्षा उपायों को और मजबूत करते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों को बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) द्वारा सुदृढ़ किया गया है, जो चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है और गैर-खतरनाक व्यवसायों में किशोरों की कार्य स्थितियों को विनियमित करता है।

¹ International Labour Organization, United Nations Children's Fund, Blanco, F., Cappa, C., Guarcello, L., Jugder, M., Lyon, S., Petrowski, N., Weathersby, E., Mahajan, A., Gomis, R., Kapsos, S., Bescond, D., Limani, D., Perardel, Y., Blight, S., De Coninck, S., Darer, M., Hahn, M.,... Vanhuynegem, P. (2025). Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward (G. Luchsinger, L. Jensen, & A. F. Cresswell, Eds.). <https://www.ilo.org/sites/default/files/202506/2024%20Global%20Estimates%20of%20Child%20Labour%20Report.pdf>

भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जो एक प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे। हाल के विश्लेषण शहरी बाल श्रम में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जो तीव्र शहरीकरण और सस्ते श्रम की मांग से प्रेरित ग्रामीण से शहरी वातावरण में शोषण की बदलती गतिशीलता को रेखांकित करते हैं।

शिक्षा संबंधी आंकड़ों से मिली अतिरिक्त जानकारी इस भेद्यता को उजागर करती है। कोविड-19 महामारी ने स्कूलों के बंद होने, आर्थिक संकट और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बाधित होने के कारण अधिक बच्चों को श्रम बल में धकेलकर इस भेद्यता को और बढ़ा दिया है। यूडीआईएसई (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 8.2 प्रतिशत है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह तेजी से बढ़ती है और अक्सर 15 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। स्कूल से बाहर रहने वाले इन बच्चों में से कई के समय से पहले ही कार्यबल में प्रवेश करने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रवर्तन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने 2025 में विभिन्न प्रकार के शोषण से 44,902 से अधिक बच्चों को बचाया है। बाल श्रम से बचाए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या तेलंगाना से आई, जहां 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अन्य प्रमुख योगदानकर्ताइसमें बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल थे। यौन शोषण के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां 1,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया। भीख मांगने से संबंधित बचाव अभियान हरियाणा और महाराष्ट्र में केंद्रित थे।

भारत में बाल श्रम के मूल कारण बहुआयामी और परस्पर जुड़े हुए हैं। गरीबी कई परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों द्वारा अर्जित आय पर निर्भर रहने के लिए विवश करती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्कूली शिक्षा की उच्च अवसर लागत इस चक्र को बनाए रखती है। काम के लिए मौसमी प्रवास पारिवारिक स्थिरता को बाधित करता है और बच्चों को ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, कपड़ा कारखानों और घरेलू परिवेश में शोषण के लिए उजागर करता है। लैंगिक आयाम इस समस्या को और भी जटिल बना देते हैं, क्योंकि लड़कियों को अक्सर घरेलू कामों या नौकरानी जैसे अदृश्य श्रम में धकेल दिया जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक संभावनाएं और भी सीमित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि, वस्त्र, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की मांग अप्रत्यक्ष दबाव पैदा करती है जो कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद बाल श्रम को बढ़ावा देती है।

बाल श्रम में लगे बच्चे कुपोषण, बौनेपन, व्यावसायिक खतरों के प्रति संवेदनशीलता और सीमित सामाजिक संपर्क जैसी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। उन्हें अक्सर दुर्व्यवहार, शोषण और तस्करी का सामना करना पड़ता है। इसलिए, बाल श्रम का समाधान केवल कल्याणकारी मुद्दा नहीं है, बल्कि समावेशी और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, जो भारत के संविधान में परिकल्पित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निष्पक्षता के अनुरूप हो।

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत अपने जनादेश के माध्यम से बाल श्रम से

¹ ILO. (2011). CHILD LABOUR IN INDIA. In ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_557089.pdf

² Samantroy, E., Sekar, H. R., Pradhan, S., & V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE. (n.d.). STATE OF CHILD WORKERS IN INDIA: Mapping trends. In V. V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE.

³ UNICEF, (2020, June 11), COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act, <https://data.unicef.org/resources/covid-19-and-child-labour-a-time-of-crisis-a-time-to-act/>

⁴ Admin. (2026, June 26). Out-of-School Children in India: A Comprehensive analysis based on UDISE+ 2024-25 | Education for All in India. Education for All in India. <https://educationforallinindia.com/out-of-school-children-india-udise-2024-25/>

⁵ Ibid.

⁶ Tiwari, A. (2025, June 27). India rescued 44,902 children from exploitation last year. Many still remain in chains. India Today. <https://www.indiatoday.in/diu/story/india-rescued-44902-children-from-exploitation-last-year-2747260-2025-06-27>

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ ILO & UNICEF (2024): "Child labour is both a cause and a consequence of educational exclusion.", <https://www.ilo.org/resource/other/2024-global-estimates-child-labour-frequently-asked-questions>

¹⁰ Santhya et al., Child Labour and Schooling in India: A Reappraisal, 2024, <https://www.unicef.org/innocenti/media/9356/file/unicef-innocenti-child-labour-schooling-india-report-2024.pdf>

¹¹ UNICEF, "Despite Progress, Child Labour Still Affects 138 Million Children Globally," 2025, <https://www.unicef.org/press-releases/despite-progress-child-labour-still-affects-138-million-children-globally-ilo-unicef>

¹² NHRC, Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers. https://nhrc.nic.in/assets/uploads/other_advisories/1721809317_1b06c69a7556ab82a9db.pdf

निपटने के प्रयासों में अग्रणी रहा है। आयोग ने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त करने और उनका पुनर्वास करने के लिए एक सलाह जारी की है। प्रमुख सिफारिशों में बचाए गए बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास के लिए समन्वय तंत्र को मजबूत करना शामिल है। इसमें पुनर्तस्करी या दोबारा बंधुआ मजदूरी में धकेलने से रोकने के लिए औपचारिक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और परिवार सहायता सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग जिलों में बाल कल्याण समितियों के कामकाज को सुदृढ़ करने और 1098 जैसी बाल हेल्पलाइनों की प्रभावशीलता बढ़ाने का समर्थन करता है। आश्रय गृहों, निगरानी गृहों और कार्यस्थलों सहित संवेदनशील स्थानों का दौरा करने से सक्रिय निगरानी और हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

आयोग शहरी नियोजन, प्रवासी कल्याण नीतियों और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व ढाँचों में बाल श्रम संबंधी चिंताओं को शामिल करने की वकालत करता रहा है। व्यवसायों से आग्रह किया जाता है कि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं में उचित परिश्रम की मजबूत प्रक्रियाओं को अपनाएं और पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करें जो स्पष्ट रूप से श्रम कल्याण, जिसमें बाल श्रम का उन्मूलन भी शामिल है, को संबोधित करते हों।

बचाए गए बच्चों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल शोषणकारी परिस्थितियों से निकालना ही पर्याप्त नहीं है। सतत पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक देखभाल आवश्यक है, जिसमें मनोसामाजिक सहायता, शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवारों को आर्थिक सहायता शामिल है। सफल मॉडल दर्शाते हैं कि समुदाय-आधारित निगरानी, पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए परामर्श और स्थानीय स्व-शासन संस्थानों की भागीदारी से परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

“बाल श्रम को लाल कार्ड: बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम” के नारे के तहत, 2026 विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस अभियान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम और पर्याप्त आजीविका, मजबूत कानूनों और प्रवर्तन, बेहतर डेटा और निगरानी प्रणालियों और कृषि एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में जिम्मेदार कार्रवाई के माध्यम से बाल श्रम को रोकने और बच्चों को इससे मुक्त करने वाली

नीतियों पर ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है। इस कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। प्रगति के बावजूद, विश्व स्तर पर 13.7 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से लगभग 54 करोड़ खतरनाक कामों में शामिल हैं।

नागरिक समाज संगठन, गैर-सरकारी निकाय और सामुदायिक समूह एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। जागरूकता अभियान, रिपोर्टिंग तंत्र और जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सरकारी प्रयासों के पूरक हैं। शैक्षणिक संस्थान सतर्कता बनाए रखकर, जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान करके और पुनः नामांकन की सुविधा प्रदान करके योगदान दे सकते हैं। कॉर्पोरेट संस्थाओं को अनुपालन से आगे बढ़कर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में शिक्षा पहलों का समर्थन करने और नैतिक भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने जैसे सक्रिय उपाय करने चाहिए।

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और निरंतर प्रतिबद्धता पर आधारित समग्र समाजीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज, समुदायों और नागरिकों को इसके मूल कारणों का समाधान करने, प्रवर्तन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, संरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। और इसी तरह हम बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।



¹³ NHRC, Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers. https://nhrc.nic.in/assets/uploads/other_advisories/1721809317_1b06c69a7556ab82a9db.pdf

¹⁴ International Labour Organization. (2005). Overview of child labour monitoring. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-09/Child_Labour_Monitoring_Overview_EN.pdf

¹⁵ United Nations. (n.d.). World Day Against Child Labour

लेख

नाविकों का मानसिक स्वास्थ्य: एक अनसुलझा मानव अधिकार मुद्दा

- सुश्री रेणु वरुण,

अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और जनसंपर्क प्रमुख,
कनेक्ट हट

आधुनिक अर्थव्यवस्था में समुद्री यात्रा सबसे अधिक अलगावपूर्ण व्यवसायों में से एक है। वैश्विक व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है, फिर भी इस व्यापार को संचालित करने वाला कार्यबल काफी हद तक अदृश्य रहता है, जो महीनों तक एक तैरते हुए कार्यस्थल तक सीमित रहता है, परिवार, समुदाय और उन दैनिक सहायता प्रणालियों से कटा हुआ रहता है जिन्हें अधिकांश श्रमिक स्वाभाविक मानते हैं। जब हम नाविकों के कल्याण की बात करते हैं, तो चर्चा अभी भी मुख्य रूप से शारीरिक सुरक्षा और वेतन पर केंद्रित रहती है। मानसिक स्वास्थ्य नाविकों के जीवन का सबसे कम संरक्षित, निगरानी किया जाने वाला और समझा जाने वाला पहलू बना हुआ है, जबकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत उनके जीवन, गरिमा और स्वास्थ्य के अधिकार का मूलभूत आधार है।

यह सिर्फ कल्याणकारी मुद्दा नहीं बल्कि अधिकारों का मुद्दा क्यों है?

समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006, जिसे भारत ने 9 अक्टूबर 2015 को अनुमोदित किया था, नाविकों के काम

करने और रहने की स्थितियों के लिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है, जिसमें काम और आराम के घंटे, स्वदेश वापसी, चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा संरक्षण शामिल हैं। भारत ने इस सम्मेलन को व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 और व्यापारिक जहाजरानी (समुद्री श्रम) नियम, 2016 के माध्यम से लागू किया है, और इसके प्रावधान अब व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 में भी शामिल हैं। लेकिन इस अधिनियम में, मानसिक स्वास्थ्य को एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में मानने के बजाय, स्वास्थ्य संरक्षण और कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच संबंधी प्रावधानों के माध्यम से ही अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया है। यह कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री यात्रा की स्थितियां - परिवार से लंबे समय तक अलगाव, सीमित रहने की जगह, भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं वाले बहुराष्ट्रीय दल, अनिश्चित अनुबंध विस्तार और सबसे खराब स्थिति में, जहाज मालिकों द्वारा परित्याग - ऐसी स्थितियां हैं जो मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनती हैं, न कि आकस्मिक जोखिम।

परित्याग शायद इसका सबसे भयावह उदाहरण है। जब वित्तीय संकट में फंसा कोई जहाज मालिक चालक दल को बिना वेतन, भोजन या घर लौटने के रास्ते के फंसा छोड़कर चला जाता है, तो नुकसान केवल आर्थिक नहीं होता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है और गंभीर मामलों में, नाविकों को ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार ढांचा अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार मानता है। भारतीय नौसेना न्यायालयों ने हमेशा नाविकों के वेतन के दावे को उनके सम्मान और जीवन रक्षा के अधिकार से अविभाज्य माना है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन कि नाविक की कमाई 'जहाज के अंतिम तख्ते से चिपके रहने के लिए पर्याप्त है' इसे बखूबी

दर्शाता है। यही तर्क मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी लागू होना चाहिए: फंसे हुए, बिना वेतन और अनसुने रह गए नाविक को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी परित्याग किया जाता है।

घरेलू ढांचा: एक ऐसा अधिकार जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है

भारत के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य प्रशासन के एक हिरासत-आधारित मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल की ओर बदलाव किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, न कि विवेकाधीन कल्याणकारी उपाय के रूप में, और मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी स्थितियों को स्पष्ट रूप से इसके दायरे में शामिल किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की वकालत ने इस अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को किशोरों और मादक पदार्थों के प्रति संवेदनशील समूहों तक विस्तारित किया है, जिसमें "कलंक मुक्त" उपचार और समग्र सामाजिक प्रतिक्रियाओं का आह्वान किया गया है। नाविक भी इसी तरह की संवेदनशील स्थिति में हैं, फिर भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम द्वारा वादा किया गया बुनियादी ढांचा - मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, सुलभ उपचार मार्ग - उस कार्यबल तक सार्थक रूप से नहीं पहुंच पाता है जो अपना अधिकांश वर्ष भारतीय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर बिताता है।

अधिकार-आधारित प्रतिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है

1. मनोवैज्ञानिक कल्याण को एक विशिष्ट संरक्षित हित के रूप में मान्यता देना। एमएलसी ढांचे और भारत के घरेलू समुद्री श्रम नियमों के तहत - न

कि चुपचाप सामान्य 'स्वास्थ्य संरक्षण' खंडों में शामिल किया गया है।

- समुद्र और बंदरगाह में मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक अनिवार्य और गोपनीय पहुंचाटेली-काउंसलिंग सहित, यह सेवा MANAS या नशा मुक्त भारत हेल्पलाइन मॉडल की भावना से प्रेरित है - विशेष रूप से नाविकों के लिए विस्तारित की गई है, जो वर्तमान में समुद्र में होने के कारण अधिकांश राष्ट्रीय सहायता तंत्र से बाहर हैं।
- परित्याग के मामलों में मनोवैज्ञानिक क्षति से सीधे तौर पर जुड़े त्वरित समुद्री उपचार। यह मानते हुए कि वेतन की वसूली और स्वदेश वापसी में देरी से न केवल वित्तीय कठिनाई बढ़ती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी और बिगड़ जाती है।
- प्रस्थान से पहले और यात्रा के बाद मनोवैज्ञानिक जांच और जानकारी साझा करना विशेषकर उन नाविकों के लिए जो अत्यधिक तनावपूर्ण समुद्री यात्राओं, लंबे अनुबंधों या समुद्र में हुई घटनाओं से लौट रहे हैं।
- ध्वज राज्य और बंदरगाह राज्य जवाबदेही तंत्र जो मजदूरी का लगातार भुगतान न करना, तट पर छुट्टी से वंचित करना या गिरफ्तार जहाज

पर लंबे समय तक कैद रखना जैसे मामलों को मानव अधिकार उल्लंघन मानते हैं और उन्हें उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी गंभीरता से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हिरासत में हुई मौतों या जमीन पर संस्थागत दुर्व्यवहार के मामलों को लेता है।

- डेटा और निगरानी अन्य संवेदनशील व्यावसायिक समूहों के लिए उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में नाविकों द्वारा आत्महत्या, आत्महानि या मनोवैज्ञानिक संकट से संबंधित कोई व्यवस्थित राष्ट्रीय डेटा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पारदर्शिता के बिना, सुरक्षा संभव नहीं है।

जमीनी स्तर से सीखे गए सबक

हाल ही में गैर-सरकारी संगठन द कनेक्ट हट ने दो प्रमुख नाविक संगठनों के साथ मिलकर 100 से अधिक जहाजों के चालक दल को मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम प्रशिक्षण प्रदान किया। इससे उच्च जोखिम वाले सभी चालक दल के सदस्यों को तत्काल सहायता और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करके प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूकता, कलंक, अलगाव, परिवारों से लंबे समय तक अलगाव, नींद की कमी, अत्यधिक स्क्रीन समय और अस्वास्थ्यकर मुकाबला करने के तंत्र सहित

प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई। 96% प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को सकारात्मक रेटिंग दी, जिससे पता चलता है कि इस पहल ने संकट के शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूकता में सुधार किया, कलंक को कम किया और मदद मांगने के व्यवहार को प्रोत्साहित किया, जो समुद्र में जीवन के अनुरूप व्यावहारिक, अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को उजागर करता है।

निष्कर्ष

समुद्री यात्री वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हैं, जबकि वे जमीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्मित मानव अधिकार संस्थानों की पहुँच से लगभग पूरी तरह बाहर रहते हैं। समुद्री यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए नए सिद्धांतों को गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन सिद्धांतों का विस्तार करना आवश्यक है जिनके प्रति भारत पहले से ही प्रतिबद्ध है (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, नौसेना अधिनियम और एमएलसी के अनुसमर्थन के माध्यम से), ताकि उस कार्यबल को लाभ हो सके जो अब तक समुद्री वाणिज्यिक कानून और घरेलू कल्याण कानून के बीच की खाई में फंसा रहा है। आवश्यक प्रथम कदम के रूप में, समुद्री यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य को एक मानव अधिकार संबंधी चिंता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि व्यावसायिक असुविधा के रूप में।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की पहचान करने में मीडिया रिपोर्टें लंबे समय से सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को समय पर राहत और सहायता प्रदान की है। जुलाई 2026 में, आयोग ने मीडिया में रिपोर्ट किए गए 19 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। इनमें से कुछ मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक शिशु की आंखों की रोशनी चली गई

(केस संख्या 1377/12/37/2026)

30 जून 2026 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा सिविल अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही के कारण डेढ़ साल के एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। बताया जाता है कि बच्चे को सर्दी और आंखों में लालिमा के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने कथित तौर पर उसकी आंखों में नाक की बूंदें डाल दीं, जिसके बाद उसे संक्रमण हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई।

आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, भोपाल स्थित एम्स के डॉक्टरों ने बच्चे के परिवार को बताया कि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं लाई जा सकती।

दाइयों द्वारा छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार

(केस संख्या 402/10/1/2026)

2 जुलाई 2026 को मीडिया में कुछ वीडियो सामने आए जिनमें कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एक आईटी कंपनी के परिसर में बने शिशुगृह में काम करने वाली दाइयों द्वारा छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार दिखाया गया था। यह शिशुगृह कंपनी के कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान उनके बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन के एक अधिकारी को ये वीडियो मिले थे। आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, वीडियो में कथित तौर पर दाइयों को छोटे बच्चों को वॉशिंग मशीन में डालते, टॉयलेट जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डालते, उन्हें शौचालयों में बंद करते, उन्हें पश्चिमी शैली के कमोड पर बैठने के लिए मजबूर करते और रोने पर चुप रहने की धमकी देते हुए दिखाया गया है। एहतियात के तौर पर शिशुगृह को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

पत्थर की खदान में काम करने वाले मजदूरों की मौत

(केस संख्या 403/10/1/2026)

3 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि 2 जुलाई 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एक खदान में ग्रेनाइट की एक विशाल चट्टान गिरने से कम से कम 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, इस घटना में खदान मालिक की लापरवाही झलकती है। बताया जा रहा है कि घटना के समय लगभग 16 मजदूर खदान में मौजूद थे। घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

वेंटिलेटर सपोर्ट न मिलने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु

(केस नंबर 928/7/6/2026)

3 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के हिसार और रोहतक के अस्पतालों में करीब 24 घंटे तक वेंटिलेटर सपोर्ट न मिलने के कारण एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। खबरों के मुताबिक, नवजात शिशु के पिता ने हिसार और रोहतक जिलों के एक अस्पताल से दूसरे

अस्पताल तक कई प्रयास किए, लेकिन अपने बच्चे के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो सके। आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

खबरों के मुताबिक, शिशु का जन्म 1 जुलाई 2026 को हिसार के सिविल अस्पताल में सी-सेक्शन से हुआ था और उसे तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत थी। डॉक्टरों ने नवजात शिशु को हिसार जिले के अग्रोहा स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर किया। लेकिन वहां वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। इसके बाद शिशु को रोहतक के पीजीआईएमएस रेफर किया गया। पीजीआईएमएस में भी वेंटिलेटर न मिलने पर बच्चे को वापस हिसार लाया गया और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

स्कूल के छात्रावास में सांप ने छात्रों को काटा

(केस संख्या 548/34/13/2026)

10 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि झारखंड के लोहरदगा जिले के एक उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय के छात्रावास में 7 जुलाई 2026 को चार छात्रों को सांप ने काट लिया। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीन का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि रात में जब छात्राएं छात्रावास के भूतल के कमरे में सो रही थीं, तब उन्हें सांप ने काट लिया। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में तीनों घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण शामिल होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि उनमें से एक की हालत गंभीर हो गई है और उसे विशेष उपचार के लिए रांची स्थित आरआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कारखाने में विस्फोट

(केस संख्या 278/33/14/2026)

8 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के उर्ला औद्योगिक क्षेत्र में 7 जून 2026 को एक कारखाने में हुए विस्फोट में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ मृतकों और घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होने की अपेक्षा है। खबरों के अनुसार, घायल श्रमिकों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और कारखाना बंद कर दिया गया।

सीवर की सफाई करते समय मौत

(केस नंबर)1452/12/47/2026)

8 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 7 जुलाई 2026 को सीवर चैंबर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों सांस में लेने से एक मजदूर की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बताया जाता है कि यह घटना शहर में भैरवगढ़ रोड पर पिपली नाका के पास हुई, जब पीड़ित सीवर चैंबर में घुसने के बाद बेहोश हो गए। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और उज्जैन के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति के साथ-साथ मृतक और घायल मजदूरों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होने की अपेक्षा है। बताया जाता है कि एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो का इलाज चल रहा है।

एनटीपीसी के कोयला राख के तालाब में डूबने से मौत

(केस संख्या 1470/4/23/2026)

12 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा निर्मित 'ऐश डाइक लैगून' में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। एनटीपीसी ने इस लैगून में भारी मात्रा में कोयले की राख जमा कर रखी है। खबरों के अनुसार, इलाके में न तो खतरे की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए गए थे और न ही ग्रामीणों को लैगून से कोयले का अवशेष इकट्ठा करके बाजार में बेचने से रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। आयोग ने एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

किशोर गृहों के कैदियों पर शारीरिक और यौन हमला

(केस नंबर 1497/12/8/2026)

12 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एक किशोर सुधारगृह में दो नाबालिगों के साथ उनके साथी कैदियों ने शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया। बताया जाता है कि पीड़ितों ने घटना की जानकारी तब दी जब उनके परिवारवाले उनसे मिलने आए थे। बाद में, पीड़ितों की चिकित्सा जांच से आरोपों की पुष्टि हुई। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

दो सरकारी अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के बाद हुई मौतें

(केस संख्या 1362/20/0/2026)

12 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी के एक सप्ताह के

भीतर आठ महिलाओं और एक नाबालिग की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, मृतकों में से पांच की मौत भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में और चार अन्य, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, की मौत बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई। आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सीवर लाइन में जहरीली गैसों के संपर्क में आने से मौत

(केस नंबर 7812/24/30/2026)

15 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा प्रशासन द्वारा सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से 28 वर्षीय सफाईकर्मी की मौत हो गई। बताया जाता है कि पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि सफाईकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण के बिना सीवर में उतारा गया था। पुलिस और दमकल कर्मियों ने पीड़ित को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयोग ने नोएडा प्रशासन के अध्यक्ष और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई करते समय मौत

(केस नंबर 1013/7/6/2026)

16 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के हिसार जिले के गंगवा गांव में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैसों सांस में लेने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों के अनुसार, मृतक मजदूर के परिवार ने ठेकेदार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि ठेकेदार ने मजदूरों को एक अवरुद्ध पाइपलाइन की सफाई के लिए काम पर रखा था। वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में घुस गए थे। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जांच की स्थिति, घायल मजदूर की सेहत और मृतक और घायल के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

शिक्षकों द्वारा छात्राओं के कपड़े उतरवाना

(केस संख्या 1387/20/27/2026)

17 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लीवाली गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की छात्राओं की दो शिक्षकों ने तलाशी ली और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। बताया जाता है कि यह घटना तब घटी जब एक शिक्षक के कुछ पैसे खो गए और उन्हें छात्राओं पर चोरी का शक

हुआ। उन्होंने छात्राओं की पिटाई भी की, लेकिन उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। घर लौटने पर छात्राओं ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। अगले दिन बड़ी संख्या में अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने स्कूल पहुंचे। आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा यौन उत्पीड़न

(केस संख्या 673/19/12/2026)

23 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि पंजाब के मोगा जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने कई छात्राओं को गलत तरीके से छूकर उनका यौन उत्पीड़न किया। बताया जाता है कि वह छात्राओं को धमकी देता था कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह उन्हें परीक्षा में फेल कर देगा। यह घटना तब सामने आई जब एक पीड़िता ने अपने माता-पिता को सूचना दी, जिन्होंने ग्राम पंचायत को बुलाया और प्रिंसिपल से बात करने के लिए स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार किया। हालांकि, कई अन्य छात्राओं ने भी आगे आकर प्रिंसिपल के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। पुलिस को बुलाया गया। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर दो व्यक्तियों की मौत

(केस संख्या 8185/24/30/2026)

27 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा स्थित एक आवासीय सोसाइटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैसों सांस लेने से एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। बताया जाता है कि सफाईकर्मी एक टंकी की सफाई करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दाखिल हुआ और बेहोश हो गया। जब वह बाहर नहीं आया, तो आवासीय सोसाइटी का एक सुरक्षा गार्ड उसे बचाने के लिए टंकी में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने दोनों पीड़ितों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में लोगों की मौत

(केस संख्या 129/3/2/2026)

27 जुलाई 2026 को मीडिया ने बताया कि असम के कछार जिले में एक धातु प्रसंस्करण कारखाने में हुए विस्फोट में चार श्रमिकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के अनुसार, विस्फोट के बाद पिघली हुई धातु श्रमिकों पर गिर गई। विस्फोट के समय कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक मौजूद थे। मृतकों के परिवारों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कारखाने में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आयोग ने असम के मुख्य सचिव और कछार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति के साथ-साथ मृतकों के परिजनों और घायल श्रमिकों को मुआवजे के वितरण का विवरण भी शामिल होने की अपेक्षा है।

5 वर्षीय लड़के को उसके शिक्षक द्वारा प्रताड़ित किया गया

(केस नंबर 8253/24/72/2026)

28 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 5 वर्षीय लड़के को उसके शिक्षक ने प्रताड़ित किया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। बताया जाता है कि लड़के द्वारा पैट में पेशाब कर देने पर शिक्षक क्रोधित हो गया और उसे स्कूल की रसोई में ले जाकर गर्म चाकू से उसके गुप्तांगों को दाग दिया। शिक्षक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसे और भी कड़ी सजा दी जाएगी। घर लौटने पर लड़के ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ित लड़के की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण भी शामिल होने की अपेक्षा है।

मलेरिया के कारण 13 दिनों के भीतर 5 लोगों की मौत

(केस संख्या 318/33/8/2026)

31 जुलाई 2026 को मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ के कांकर जिले में 28 जुलाई 2026 को एक 11 वर्षीय लड़के की मौत के साथ ही 13 दिनों के भीतर मलेरिया से 5 लोगों की मौत हो गई। लड़के की एक निजी प्रयोगशाला में शुरुआती जांच में मलेरिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे अलबेलपारा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, जब तक उसकी रक्त रिपोर्ट में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। खबरों के अनुसार, इस घटना के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिले के प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर मलेरिया की जांच और जागरूकता अभियान शुरू किया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को अपने हाथ में लेता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। जुलाई 2026 में, 10 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 39.5 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके भारत के एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	मात्रा (लाख रुपये में)	अधिकार
1	473/1/32/2025-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	3.50	आंध्र प्रदेश सरकार
2	4817/24/64/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
3	2694/25/9/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
4	710/6/1/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	गुजरात सरकार
5	68/4/22/2023-AD	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	बिहार सरकार
6	800/20/38/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान सरकार
7	1296/36/7/2025	पुलिस हिरासत में यातना	0.5	तेलंगाना सरकार
8	86/34/24/2025	पुलिस अत्याचार	1.00	झारखंड सरकार
9	2309/12/8/2025-WC	उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता	2.00	मध्य प्रदेश सरकार
10	758/20/21/2018	थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाना	5.00	राजस्थान सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

जुलाई 2026 के दौरान, आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और सार्वजनिक प्राधिकरणों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर 14 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 82 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	मात्रा (लाख रुपये में)	अधिकार
1	51/2/13/2019-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	अरुणाचल प्रदेश सरकार
2	1662/4/5/2019-ईस्वी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	बिहार सरकार
3	639/6/14/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार
4	677/34/11/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	झारखंड सरकार
5	863/11/8/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	केरल सरकार
6	13074/24/3/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	उत्तर प्रदेश सरकार
7	128/6/6/2024-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार

क्रमांक	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	मात्रा (लाख रुपये में)	अधिकार
8	4534/22/13/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	तमिलनाडु सरकार
9	1561/4/7/2023-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	2.00	बिहार सरकार
10	5181/25/7/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
11	898/25/22/2020-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
12	3283/22/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	तमिलनाडु सरकार
13	2007/7/11/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
14	998/18/17/2025	चावल मिल से निकली गर्म राख में दबकर एक बच्चे की मौत	15.00	ओडिशा सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताओ कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों द्वारा अपनाए गए जवाब के आधार पर आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

पुलिस हिरासत में आत्महत्या

(केस नंबर 117/7/5/2021-AD)

यह मामला 2020 में हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले 20 वर्षीय विचाराधीन कैदी से संबंधित है। आयोग के नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों में दावा किया गया कि पीड़ित के आत्महत्या की प्रवृत्ति के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद थे। उनके चिकित्सा रिकॉर्ड और मनोचिकित्सकीय परामर्श से भी इसकी पुष्टि हुई। लेकिन आयोग इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने माना कि न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए, राज्य को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि हरियाणा सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका पालन किया गया।

पुलिस स्टेशन में आत्महत्या

(केस नंबर 13074/24/3/2022-AD)

यह मामला 2022 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाली एक लड़की से संबंधित है। उसे उस व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन लाया गया था जिसके

साथ कथित तौर पर वह भाग गई थी। आयोग को प्राप्त नोटिसों के आधार पर यह पाया गया कि पुलिसकर्मियों ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती थी। इसलिए, आयोग ने माना कि राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है और उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जो कि दे दी गई। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया।

पुलिस अत्याचार

(केस नंबर 863/11/8/2022-एडी)

यह मामला केरल के कोझिकोड जिले के वडाकारा पुलिस स्टेशन की पुलिस हिरासत में 2022 में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की क्रूर मारपीट के कारण हुई मौत से संबंधित है। आरोप है कि मृतक के दोस्त ने पुलिस द्वारा की गई यातना को देखा था। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित की मौत पुलिस हिरासत में यातना के कारण हुई। इसलिए, इसने सिफारिश की कि केरल सरकार पीड़ित के परिजनों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में मौत

(केस संख्या 128/6/6/2024-PCD)

यह मामला वर्ष 2024 में गुजरात के भावनगर स्थित एक पुलिस थाने की खुली खिड़की से छलांग लगाने के बाद एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु से संबंधित था। पुलिस उसे नशे की हालत में पाए जाने के बाद थाने लाई थी। उसे फोटोग्राफी और अंगुलियों के निशान लेने के लिए ले जाया जा रहा था। अपने नोटिस के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि आरोपी को संभालने में जांच अधिकारी की ओर से लापरवाही बरती गई, जिससे उसके भागने के प्रयास को बल मिला। अतः आयोग ने माना कि राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परीक्षण रूप से उत्तरदायी है और गुजरात सरकार को पीड़ित के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की राहत प्रदान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

लापरवाही के कारण मृत्यु

(केस संख्या 998/18/17/2025)

यह मामला 2025 में ओडिशा के बरगढ़ में कालेश्वर राइस मिल द्वारा लापरवाही से फेंकी गई गर्म राख में गिरने से 12 वर्षीय लड़के की गंभीर रूप से जलने के कारण हुई मौत से संबंधित है। यह मिल सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए धान को संसाधित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल बनाती है। ग्रामीणों की पूर्व चेतावनियों के बावजूद, मिल ने असुरक्षित तरीके से धान फेंकना जारी रखा। मिल मालिक ने मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा या सहायता भी नहीं दी। अपने नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने पाया कि मिल प्रबंधन लापरवाही का दोषी था। तदनुसार, इसने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार पीड़ित के परिजनों को 15 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका पालन किया गया।

मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर अन्वेषण अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

केस संख्या 942/34/16/2024-जेसीडी

6 से 10 जुलाई 2026 तक, झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल की न्यायिक हिरासत में एक विचाराधीन कैदी की मौत के आरोप के संबंध में मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 1369/18/27/2025-WC

6 से 10 जुलाई 2026 तक, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 19 वर्षीय युवती द्वारा आत्मदाह से हुई मौत के आरोप की मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 6572/24/62/2026

13 से 17 जुलाई 2026 तक, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल में जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी, माफिया गतिविधियों, जुआ और भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 6784/24/30/2026

13 से 17 जुलाई 2026 तक, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा श्रम विरोध प्रदर्शनों के संबंध में गिरफ्तार किए गए 16 वर्षीय लड़के के बारे में लगे आरोपों की मौके पर जांच की गई, जबकि घटना से उसे जोड़ने वाले कोई सबूत नहीं थे।

केस संख्या 418/34/5/2025-जेसीडी

झारखंड के दुमका स्थित केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के आरोप के संबंध में 14 से 17 जुलाई 2026 तक मौके पर जांच की गई।

केस संख्या 1801/30/7/2026-WC

14 से 17 जुलाई 2026 तक, दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में प्रक्रियात्मक चूक के आरोपों की मौके पर जांच की गई। यह जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देशों पर एक वेश्यालय और स्या से 26 लड़कियों को बचाने के बाद की गई थी। आरोप था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने, बचाई गई लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने, उनकी उम्र सत्यापित करने और कानून के अनुसार उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने में विफल रही।

केस संख्या 20/3/22/2023

27 से 31 जुलाई 2026 तक, असम के गोलाघाट में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे एक विचाराधीन कैदी को गोली लगने से हुई चोटों के आरोप की मौके पर जांच की गई।

क्षेत्रीय दौरा

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। ये प्रतिवेदक आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट लिखते हैं जिनमें उनके अवलोकनों के साथ-साथ भविष्य की कार्यवाई के लिए सुझाव भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 18 विशेष मॉनीटर को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

विशेष प्रतिवेदक

- 27 से 30 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री एस.के. सतपथी ने ओडिशा के कटका का दौरा किया और चौद्वार सर्कल जेल, बाल देखभाल संस्थान, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, नारी निकेतन आश्रय गृह और बांकी उप जेल में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकार स्थितियों का आकलन किया। उन्होंने धुरुसिया आदिवासी गांव का भी दौरा किया और ग्रामीणों की शिकायतों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान भी इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया।
- 1 से 4 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री मोहम्मद जमशेद ने महाराष्ट्र के पुणे शहर का दौरा किया। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सुविधाओं का जायजा लिया और जेल महानिदेशक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए येरवदा केंद्रीय जेल, सरकारी बाल आश्रय गृह, वृद्धाश्रम और क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल का भी दौरा किया।
- 5 से 10 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री सुभाष चंद्र ने मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों का दौरा किया। उन्होंने जेलों, हिरासत केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, महिला आश्रय गृहों, अनाथालयों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्गों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के संस्थानों, विद्यालयों और आदिवासी छात्रों



► एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री एस. के. सतपथी ओडिशा की सर्किल जेल, चौद्वार का दौरा करते हुए

के छात्रावासों में विभिन्न सुविधाओं और मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें भी कीं।

- 7 से 16 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री उपेंद्र सिंह बघेल ने उत्तर

प्रदेश का दौरा किया और वाराणसी जिला कारागार, राजकीय बाल गृह, राजकीय महिला देखभाल गृह और चंदौली स्थित राम नगर पुलिस स्टेशन में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकार स्थितियों का आकलन किया। उन्होंने वाराणसी जोन के पुलिस आयुक्त और एडीजी के साथ मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी की।

- 10 से 15 जुलाई 2026 तक, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड के सेराइकेला-खरसावां जिले के निमडीह ब्लॉक के अंडा, हुतु, छोटालखा और

लावा गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, मुखियाओं और विस्थापित लोगों से मुलाकात की। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कारण मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करना।

- एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री देवेन्द्र कुमार निमने 12 से 17 जुलाई 2026 तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चित्तूर जिलों का दौरा किया और ईएमआर स्कूल, ग्राम स्वास्थ्य क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नवोदय विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बैठकें भी कीं।
- 17 से 26 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास ने



► एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री उषेंद्र सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला कारागार में अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों और आश्रय गृहों का दौरा किया ताकि मानवाधिकारों की स्थिति और वहां रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया जा सके।

- 20 से 25 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री नित्यानंद श्रीवास्तव ने राजस्थान के रणथंभोर और सवाई माधोपुर जिलों का दौरा किया और वन अधिकारियों, स्थानीय निवासियों, गाइडों और गैर सरकारी संगठनों के साथ फसल हानि, पशुधन पर जानवरों के हमले, पुनर्वास, जन जागरूकता, पशुओं की मृत्यु के लिए मुआवजा योजनाओं और पूर्व चेतावनी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल



► एनएचआरसी की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास लद्दाख के लेह स्थित ऑब्जर्वेशन-कम-स्पेशल होम का दौरा करते हुए

देखभाल संस्थानों, वृद्धाश्रमों, आश्रमों और जिला जेल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा, उन्होंने सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की।

- 27 से 31 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री के. पद्मकुमार ने तमिलनाडु के चेन्नई शहर का दौरा किया और कारागार महानिदेशक तथा कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए पुञ्जल केंद्रीय जेल का भी दौरा किया।



► एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री नित्यानंद श्रीवास्तव राजस्थान के सवाई माधोपुर के कलेक्टर के साथ चर्चा करते हुए

- 27 से 31 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री अखिल कुमार शुक्ला ने पंजाब के तरनतारन का दौरा किया। उन्होंने थारू स्थित नशामुक्ति केंद्र और जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति का दौरा किया और उपचार करा रहे लोगों से बातचीत की। भाई वीर सिंह वृद्धाश्रम में उन्होंने निवासियों से बातचीत की और भोजन की गुणवत्ता और उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला जेल और पट्टी स्थित उप-जेल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बैरकों, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और कैदियों और विचाराधीन कैदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल अस्पताल में आयुष्मान आरोग्य केंद्र का भी उद्घाटन किया।

विशेष मॉनिटर

- 1 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल ने हरियाणा के जिंद जिले का दौरा किया और जिला जेल, वृद्धाश्रम और जिला अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले, उन्होंने एक-स्टॉप सेंटर, बाल देखभाल संस्थान, आश्रय गृह, वृद्धाश्रम, सुरक्षित स्थान और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी का भी दौरा किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी आवासीय विद्यालयों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों का भी दौरा किया। उन्होंने जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं। यह दौरा 25 जून 2026 से चल रहे उनके दौरे का ही हिस्सा था।



► एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल हरियाणा के जींद स्थित जिला अस्पताल का दौरा करते हुए

- 6 से 10 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनीटर श्री हरि नाथ मिश्रा ने पंजाब के अमृतसर जिले का दौरा किया और केंद्रीय जेल तथा सरकारी नशामुक्ति केंद्रों में कैदियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की।

- 6 से 11 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनीटर श्री गोपी शंकर मद्दुरै ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टूर और चेन्नई जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, अंतर्लिंगी शिशुओं और लिंग-गैर-अनुरूप बच्चों से संबंधित मुद्दों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, डेटा संग्रह, क्षेत्रीय दौरे, विश्लेषण और वकालत का कार्य किया। उन्होंने किशोर न्याय पुलिस (जेजेपी) और महिला पुलिस अधिकारियों सहित चेंगलपट्टूर पुलिस अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए 'एसओजीआईएससी समुदायों के साथ गरिमा और संवेदनशीलता से व्यवहार' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने चेंगलपट्टूर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का भी दौरा किया।



► एनएचआरसी के विशेष मॉनीटर श्री गोपी शंकर मद्दुरै पुडुचेरी केंद्रीय कारागार का दौरा करते हुए

- 12 से 13 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनीटर श्री विद्या भूषण कुमार ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू शहर का दौरा किया। उन्होंने तवी नदी से संबंधित जल गुणवत्ता, प्रदूषण के स्रोतों, सीवेज उपचार अवसंरचना, प्रवर्तन उपायों और नदी संरक्षण पहलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नदी के अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिनमें प्रमुख नालियां, सीवेज निकास, जल संग्रहण बिंदु और नदी के ऊपरी/निचले हिस्से शामिल हैं। उन्होंने प्रभावित निवासियों, किसानों, मछुआरा समूहों और स्थानीय समुदायों से भी बातचीत की और नदी प्रदूषण के मानव अधिकार संबंधी प्रभावों की समीक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों, पर्यावरण समूहों, निवासी कल्याण संघों, अकादमिक विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ परामर्श किया।

- 13 से 18 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनीटर डॉ. प्रदीपता कुमार नायक ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया ताकि कुछ रोग सेवाओं और कुछ रोग तथा संबंधित दिव्यांगजनों से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, राज्य कुछ रोग अधिकारी, अतिरिक्त जिला आयुक्त और स्वास्थ्य एवं कुछ रोग कार्यक्रमों, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य विभागों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के 30 से अधिक अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, समुदायों और कुछ रोग कॉलोनियों में कई कुछ रोग प्रभावित व्यक्तियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कुछ रोग प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भी आकलन किया। उन्होंने अंतर-विभागीय समन्वय और आयोग की सलाहों के अनुपालन की भी समीक्षा की।



► एनएचआरसी के विशेष मॉनीटर डॉ. प्रदीपता कुमार नायक चंडीगढ़ के कंबाला गांव में कुछ रोग से प्रभावित एक महिला के साथ बातचीत करते हुए

- 19 से 24 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनिटर श्री आर. हेमंत कुमार ने तेलंगाना के आदिलाबाद, वारंगल और मुलुगु जिलों का दौरा किया ताकि आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शासन संबंधी मुद्दों का अध्ययन किया जा सके। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं और आदिवासी गांवों का दौरा करने के साथ-साथ उनके कल्याण और विकास गतिविधियों पर समुदाय के साथ बातचीत भी की।
- 19 से 26 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनिटर श्री उमाकांत ने उत्तराखंड के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों का दौरा किया और विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राम सभा पदाधिकारियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और जिला परिषद अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।
- 20 से 26 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की विशेष मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल ने मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और इंदौर जिलों का दौरा किया ताकि महिला पुलिस स्टेशनों, वन-स्टॉप सेंट्रों, नारी निकेतनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर और विभिन्न अन्य संस्थानों का भी दौरा किया। उन्होंने मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
- 20 से 25 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनिटर डॉ. अनिमेष भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों का दौरा किया और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों, बीडीओ, जमीनी स्तर के इंजीनियरिंग स्टाफ, स्कूल प्रधानाध्यापकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के प्रतिनिधियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), ग्राम पंचायतों और ग्राम जल सुरक्षा समूहों के प्रतिनिधियों, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की।
- 21 से 27 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के विशेष मॉनिटर, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग और बिलासपुर जिलों के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों का दौरा किया और उच्च और स्कूली स्तर की शिक्षा दोनों में मानव अधिकार शिक्षा और लैंगिक समानता की सुविधाओं और स्थिति का आकलन किया।
- 22 से 25 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की विशेष मॉनिटर डॉ. पूनम मलकोंडैया ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की और कडाबा तालुकों का दौरा किया ताकि प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके। इस संबंध में, उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की और उपायुक्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।



► एनएचआरसी की विशेष मॉनिटर डॉ. पूनम मलकोंडैया कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कडाबा स्थित महर्षि वाल्मीकि आदिवासी बुढ़ाकडू वसति स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हुए

शोध अध्ययन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ शोधकर्ताओं को शोध परियोजनाएं प्रदान करता है ताकि संबंधित नीतियों और कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जमीनी स्थिति का आकलन किया जा सके। नीचे हाल ही में संपन्न हुए ऐसे ही एक शोध अध्ययन के परिणामों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है:

भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं का अध्ययन

द्वारा अधिकृत : भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

प्रमुख अन्वेषक: डॉ. दीपिका प्रकाश, सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

सह-पीआई: डॉ. प्रिया माथुर, सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

यह अध्ययन भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी आयामों की पड़ताल करता है। यह भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करता है, साथ ही इस कानूनी ढांचे के भीतर प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों की भूमिका का भी विश्लेषण करता है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य की नींव माना जाता है, जिन्हें बढ़ने और फलने-फूलने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत में, जहां बच्चे जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं - एनएफएचएस-5 (2022) के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के 27% बच्चे - राज्य का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करे और उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करे। संविधान के अनुच्छेद 39(एफ), 45 और 47, राष्ट्रीय बाल नीति (1974, 2013) और राष्ट्रीय बाल चार्टर (2003), साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1989) जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं राष्ट्रीय विकास और मानव अधिकार चर्चा में बच्चों को प्राथमिकता देती हैं।

यद्यपि परिवार बच्चे के विकास का केंद्र होता है, फिर भी कई बच्चे अनाथ, परित्यक्त या असुरक्षित रह जाते हैं, जिसके कारण वैकल्पिक देखभाल व्यवस्था की आवश्यकता होती है। किशोर न्याय अधिनियम (2015) के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त गोद लेना, एक स्थिर पारिवारिक वातावरण में बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करके 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित मौजूदा कानूनों में मौजूद कमियों की पहचान करना, जिसके कारण बच्चों के साथ-साथ भावी दत्तक माता-पिता को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

2. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के भीतर मौजूदा हितधारकों के कार्यों का पता लगाना, अर्थात् केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC), विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) और भावी दत्तक माता-पिता (PAPs)।
3. दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में भावी दत्तक माता-पिता और बच्चों के लिए परामर्श की भूमिका को समझना।
4. मौजूदा संस्थानों में बच्चों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाना।

शोध क्रियाविधि

इस अध्ययन में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया के मात्रात्मक रुझानों और गुणात्मक बारीकियों दोनों को समझने के लिए डिज़ाइन की गई मिश्रित मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया गया है, जिससे इस घटना की व्यापक समझ सुनिश्चित होती है।

इस अध्ययन के लिए डेटा संग्रह देश भर के 6 राज्यों के 9 जिलों में किया गया। प्रत्येक क्षेत्र से पंजीकृत भावी दत्तक अभिभावकों (पीएपी) के उच्चतम प्रतिशत वाले एक राज्य को नमूने के रूप में लिया गया। ये 6 राज्य थे: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल। इसके बाद, उस राज्य में सबसे अधिक भावी दत्तक अभिभावकों वाले एक जिले का चयन किया गया। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इन 6 राज्यों में पंजीकृत भावी दत्तक अभिभावकों के उच्चतम प्रतिशत वाले शीर्ष दो राज्य हैं; इसलिए, इन दोनों राज्यों से एक से अधिक जिलों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर, नमूने में 9 जिले शामिल हैं, जिनके नाम हैं - जोधपुर, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, कामरूप महानगरपालिका, कोलकाता और हावड़ा।

प्राथमिक डेटा निम्नलिखित हितधारकों के साथ आयोजित मात्रात्मक और गुणात्मक साक्षात्कारों के माध्यम से एकत्र किया गया था: क) सीएआरए, नई दिल्ली; ख) नमूने में शामिल प्रत्येक राज्य का एसएआरए; ग) नमूने में शामिल प्रत्येक जिले का डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी और एसएए; घ) पीएपी या गोद लेने के माध्यम से माता-पिता; ङ) संसाधन व्यक्ति - पेशेवर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता, गोद लेने और बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

1. दत्तक ग्रहण कानून

इस अध्ययन में किशोर न्याय अधिनियम, 2015, किशोर न्याय आदर्श

नियम, 2016, मिशन वात्सल्य 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 जैसे दत्तक ग्रहण संबंधी कानूनों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर, शोध अध्ययन में कानूनी ढांचे में कुछ कमियां पाई गईं, जैसे राज्य-केंद्र समन्वय का अभाव, अवास्तविक समयसीमा, समयसीमा का पालन न करने पर दंड का अभाव और दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (एसएए) द्वारा बच्चे को ग्रहण करने के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव। यह भी पाया गया कि एसएए के लाइसेंसिंग दिशा-निर्देश आयु के अनुरूप होने चाहिए।

2. हितधारकों का कार्य

CARA केंद्र में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और देश में गोद लेने के कार्यक्रम को विनियमित और बढ़ावा देता है। हालांकि, राज्य और जिला स्तर पर गोद लेने के कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी SARA, DCPU, CWC और SAA जैसे हितधारकों की है। इन हितधारकों के गठन, बुनियादी ढांचे और क्षमता में भारी अंतर है, जिसका उनके जमीनी स्तर पर काम करने पर असर पड़ता है। प्रमुख निष्कर्षों में हितधारकों की कम क्षमता, पूर्ण रूप से कार्यरत कर्मचारियों की कमी, हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी, धन की कमी और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी शामिल हैं। निष्कर्षों में निगरानी, प्रचार और प्रशिक्षण के कार्यों के साथ-साथ हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

3. दत्तक ग्रहण परामर्श

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में – दत्तक ग्रहण से पहले और दत्तक ग्रहण के बाद – बच्चों और दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता दोनों के लिए परामर्श की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानूनी ढांचा और हितधारक दोनों ही इसे मान्यता देते हैं और इस पर जोर देते हैं; हालांकि, जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन अपर्याप्त है। प्रमुख निष्कर्षों में परामर्श में हितधारकों की निष्क्रिय भूमिका, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, परामर्श संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव, परामर्श के लिए प्रभावी निगरानी तंत्रों का अभाव और संस्थागत बाधाएं शामिल हैं। परामर्श विघटन और विवाह विच्छेद के मामलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से, इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती और अक्सर इसे वैकल्पिक माना जाता है।

अध्ययन की प्रमुख नीतिगत सिफारिशें

इस अध्ययन में संस्थानों में बच्चों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए सिफारिशें और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। ये सिफारिशें जमीनी स्तर से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं और सुधार के लिए व्यावहारिक, अनुभव-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये लंबी प्रतीक्षा अवधि के पांच प्रमुख कारणों, अर्थात् कानूनी, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, तकनीकी और जागरूकता संबंधी मुद्दों को संबोधित करती हैं। अध्ययन में दी गई सिफारिशों को उनकी तात्कालिकता, व्यवहार्यता और प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी गई है और कार्यान्वयन समय-सीमा (अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक) के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ताकि तत्काल कार्रवाई और सतत सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

1. कानूनी ढांचे को मजबूत करना

समयसीमा, दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून और विनियमों की पुनः जांच की आवश्यकता है, ताकि यह जमीनी हकीकतों के अनुरूप हो सके। हितधारकों के सुचारू कामकाज के लिए कानूनी ढांचे को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के माध्यम से दत्तक ग्रहण को विनियमित करने की आवश्यकता है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के समानांतर कार्य करता है, जिसमें अस्पष्ट दिशा-निर्देश और कोई विनियम नहीं हैं, जिससे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत समग्र दत्तक ग्रहण प्रणाली के लिए चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दत्तक ग्रहण कानूनी ढांचे में संशोधन की सिफारिश करता है:

- केंद्र-राज्य समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करना
- दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के लिए साक्ष्य-आधारित समयसीमा निर्धारित करना, सख्त प्रवर्तन तंत्र और समयसीमा का पालन न करने पर हितधारकों के लिए दंड का प्रावधान करना।
- जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी बढ़ाना
- एसएए द्वारा बच्चे के स्वागत के लिए दिशानिर्देश बनाना, एसएए के लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश, पीएपी पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश आदि।
- बच्चों के वर्गीकरण के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करना
- अयोग्य अभिभावकों और बिना मुलाकात वाले बच्चों के संबंध में स्पष्टता लाना
- बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की निगरानी और सत्यापन से संबंधित प्रक्रियाएं - यह अनुशंसा की जाती है कि न्यायधीश अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि सीएआरए और एसएआरए को अभिलेखों का सत्यापन करने और अपूर्ण/गलत दस्तावेजीकरण वाली एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जा सके।
- SARA द्वारा राज्य-विशिष्ट डेटा का प्रकाशन
- एसएए में बाल देखभाल कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश और सत्यापन - सीएआरए इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए दिशा-निर्देश प्रसारित करेगा, जिसमें दत्तक ग्रहण प्रणाली के भीतर ऐसे बाल देखभाल कर्मचारियों के लिए प्रमुख पात्रता शर्तों, भूमिकाओं, निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्रों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा।
- एआर के तहत पीएपी की अनिवार्य काउंसलिंग को शामिल करना
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया के वित्तपोषण को मजबूत करना
- प्रत्येक राज्य में 25 वर्ष की आयु तक दत्तक बच्चों के लिए परामर्श केंद्रों की

उपलब्धता से संबंधित ठोस प्रावधानों को शामिल करना।

2. संगठनात्मक संरचनात्मक सुधार

हितधारकों की संरचनात्मक और संस्थागत व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। वित्तपोषण, जनशक्ति, प्रशिक्षण, हितधारकों के बीच समन्वय, डीसीपीयू की भूमिका, तकनीकी पोर्टल और हितधारकों के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, मिशन वात्सल्य के तहत बजटीय आवंटन की समीक्षा और समाधान, बेहतर निगरानी के लिए सीएआरए के क्षेत्रीय केंद्र बनाना, राज्य स्तर पर टोल-फ्री हेल्पलाइन, एक कुशल सीएआरए हेल्प डेस्क, हितधारकों की कर्मचारी संबंधी समस्याओं का समाधान, बड़े जिलों में अधिक सामुदायिक समितियां (सीडब्ल्यूसी) बनाना, सीडब्ल्यूसी सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाना और सीएआरए के तहत प्रत्येक राज्य में पीएपी के लिए सहायता समूह बनाना भी अनुशंसित है।

3. प्रक्रिया अनुकूलन

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। जिन प्रमुख पहलुओं में यह आवश्यक है, उनमें मिलान प्रक्रिया, परामर्श, परित्यक्त बच्चों के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, अनुपयुक्त अभिभावकों के मानदंड, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया आदि शामिल हैं। साथ ही, सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम की भी आवश्यकता है।

4. डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना

वर्तमान CARINGS पोर्टल को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और उपलब्ध जानकारी से अधिक डेटासेट का उपयोग करके साक्ष्य-आधारित सुधार किए जा सकते हैं। संकेतों के साथ LFA की घोषणा को स्वचालित करने से मानवीय त्रुटियां कम होंगी। CARINGS पर परामर्श संबंधी अनिवार्य टैब शामिल करने, CARINGS पर नियमित चेक-इन के माध्यम से PAPs के साथ संपर्क स्थापित करने और PAPs की अपनाने की तत्परता

का आकलन करने, जागरूकता पैदा करने और प्रश्नों का समाधान करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करने की भी अनुशंसा की जाती है।

5. शोध और समर्थन

दत्तक ग्रहण से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने और सुरक्षित समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अधिक जागरूकता और समर्थन सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण के क्षेत्र में चर्चा और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए अधिक शोध और प्रकाशनों की आवश्यकता है।

6. HAMA का विनियमन और निगरानी

HAMA के तहत गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसे एक निगरानी प्राधिकरण के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि माता-पिता की गोद लेने की तत्परता का आकलन किया जा सके, साथ ही गोद लेने की पूरी प्रक्रिया के केंद्र में बच्चे की भलाई को भी ध्यान में रखा जा सके।

परिणाम

सभी छह स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है ताकि हितधारकों के समग्र कामकाज के साथ-साथ उनके कामकाज को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को भी बेहतर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में हितधारकों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण को मान्यता देने और लागू करने की वकालत की गई है, और डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करते हुए दत्तक ग्रहण प्रणाली को अधिक समयबद्ध और साक्ष्य-आधारित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा एक प्रेमपूर्ण और पालन-पोषण करने वाले परिवार का हिस्सा हो। दत्तक ग्रहण को राष्ट्र निर्माण के एक साधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। विस्तृत शोध अध्ययन आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटरनैशनल कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और अन्य कई गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ भी शामिल हैं, ताकि विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके।

हैदराबाद के एसवीपीएनपीए में आईपीएस परिवीक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

24 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद, तेलंगाना के सहयोग से आयोग

द्वारा आयोजित आईपीएस परिवीक्षाधीन पुलिसकर्मियों के लिए दो दिवसीय मानव अधिकार प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। एनएचआरसी की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र और एसवीपीएनपीए के निदेशक श्री सुजीत पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और अधिकार-आधारित, नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करना था।



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन एसवीपीएनपीए, हैदराबाद, तेलंगाना में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

अपने संबोधन में अध्यक्ष ने मानव अधिकारों के विकास की व्याख्या की, जिसमें प्रथम पीढ़ी के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से लेकर द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। उन्होंने पर्यावरण, एकजुटता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी के अधिकारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्रता, न्याय और समानता की अवधारणाएं सदियों से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के माध्यम से विकसित हुईं। मैग्ना कार्टा (1215), याचिका का अधिकार (1628), बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (1679), अंग्रेजी अधिकार विधेयक (1689), अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांसीसी क्रांति, वियना कांग्रेस, राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) को अपनाया। उन्होंने स्वतंत्र और प्रभावी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना में पेरिस सिद्धांतों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे संविधान का पालन करते हुए, कानून के शासन का अनुपालन करते हुए और ईमानदारी, निष्पक्षता, करुणा और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं स्वतः नहीं सुधर सकतीं और उन्हें बदलने के लिए प्रतिबद्ध, नैतिक और साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

लोकतांत्रिक समाज में पुलिस व्यवस्था की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस

अधिकारियों को अक्सर जनता की परस्पर विरोधी अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें प्रभावी कानून प्रवर्तन तथा मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। हैदराबाद मुठभेड़ मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यद्यपि कानून के शासन का पालन करना



► अध्यक्ष का संबोधन जारी

तत्काल जनसमर्थन प्राप्त नहीं कराता, लेकिन यही एकमात्र उपाय है जो स्थायी न्याय और संस्थागत विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

इस अवसर पर प्रदर्शित एनएचआरसी पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र 'डस्क ऑफ लाइफ' का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिसिंग में सहानुभूति और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों द्वारा झेली जाने वाली

कठिनाइयों को समझने से पुलिस अधिकारी अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं और सार्वजनिक सेवा के आधारभूत मानव अधिकार मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं।

इस कार्यक्रम में पुलिसिंग से संबंधित प्रमुख मानव अधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने 'मानव अधिकार शिकायत प्रबंधन और मानवाधिकारों की रक्षा में पुलिस की भूमिका' विषय पर बात की। उन्होंने आयोग के जनादेश, शिकायत प्रबंधन तंत्र और उभरती मानव अधिकार चुनौतियों को रेखांकित किया। मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि कुमार पॉल ने 'परीक्षण-पूर्व और परीक्षण-पश्चात प्रक्रियाएं: मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य' विषय पर व्याख्यान दिया, जबकि मानव अधिकार के प्रोफेसर और न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के निदेशक डॉ. मुरली कर्णम ने 'कैदी, दंड और मानव अधिकार' विषय पर संबोधित किया।

अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रम

जुलाई 2026 के महीने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत द्वारा आयोजित अन्य सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी देखे गए। इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

- 10 जुलाई 2026 को, सेंट एग्नेस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलुरु, कर्नाटक ने 'स्वास्थ्य का पोषण, सुरक्षा सुनिश्चित करना: महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- 10 जुलाई 2026 को, तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने 'मानव अधिकार - जागरूकता, संरक्षण और जिम्मेदारियां' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- 15 जुलाई 2026 को, नागपुर, महाराष्ट्र स्थित बहुविषयक अध्ययन महाविद्यालय ने 'मानव अधिकार - कमजोर समूहों के मानव अधिकारों का संरक्षण' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के डीआईजी श्री गौरव गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

श्रीमती भामती बालासुब्रमण्यम पूर्व सदस्य, सीएटी ने 'भारत में डिजिटल युग में दुर्व्यापार से निपटने के लिए लैंगिक और अधिकार-आधारित प्रतिक्रिया' पर चर्चा की, और श्रीमती रूपा एम., महानिरीक्षक (प्रशासन), आई4सी ने मानव अधिकारों के साइबर-संबंधित पहलुओं पर एक सत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा 'नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में पुलिस' विषय पर एक संवादात्मक अनुभव-साझाकरण सत्र भी शामिल था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के पूर्व सदस्य श्री राजीव जैन ने कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पुलिसिंग और शासन में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। विशाखा और अनीता कुशवाहा निर्णयों का हवाला देते हुए, उन्होंने सुरक्षित कार्यस्थलों और न्याय तक पहुंच पर बल दिया और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक पुलिसिंग पहल के केंद्र में मानवाधिकारों को रखकर निष्पक्ष और पारदर्शी पुलिसिंग के माध्यम से जनता का विश्वास मजबूत करें।





- 17 जुलाई 2026 को, गोवा के मिरामार स्थित धम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने एक दिवसीय 'मानव अधिकार पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- 17 जुलाई 2026 को सेंट एलोसियस (मानित विश्वविद्यालय), मंगलुरु, कर्नाटक ने 'श्रेणी IV कर्मचारियों के लिए मानव अधिकारों को सुदृढ़ करना: रोजगार, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के कार्यपालक श्री बिपिन बिहारी गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

ज्ञानार्जन दौरे

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके शिक्षकों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसके कामकाज से परिचित हो सकें। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है।



- हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित जेसी कॉलेज ऑफ लॉ के 25 छात्र और 3 शिक्षक सदस्य।
- तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित एपीसीए के संकाय सदस्यों के साथ, कारागार अधिकारियों के लिए नौ महीने के बुनियादी पाठ्यक्रम के 36वें बैच के 12 प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।



नवीन नियुक्ति

24 जुलाई 2026 को, नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री पीयूष गोयल ने भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आयोग में शामिल होने से पहले, उन्होंने खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने केंद्र और अपने कैडर राज्य में, साथ ही उत्तर प्रदेश में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इनमें NATGRID के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, आयुक्त और सचिव, प्रधान सचिव, विशेष कर्तव्य अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के पद शामिल हैं। उन्होंने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी दिल्ली से व्यवहार विज्ञान में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों के विकास को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें एक व्यापक कार्यकारी ढांचे के माध्यम से जनता के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता विधायिका और न्यायपालिका सहित सशक्त लोकतांत्रिक संस्थानों और एक जीवंत एवं सतर्क मीडिया द्वारा और भी मजबूत होती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य स्तरीय निकायों के सहयोग से कई राष्ट्रीय आयोग क्षेत्रीय स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये सभी संस्थाएँ मिलकर महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, जो जवाबदेही, न्याय और समावेशी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करती हैं। यह लेख मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को मजबूत करने के लिए विभिन्न एसएचआरसी द्वारा की गई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलों पर प्रकाश डालता है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एपीएसएचआरसी) ने स्नातक स्तर के छात्रों के लिए 19 जून से 10 जुलाई 2026 तक तीन सप्ताह का इंटरनशिप कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे नौ छात्रों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इंटरन डॉन बॉस्को कॉलेज, जुली, गवर्नमेंट डीएन कॉलेज, इटानगर और एडमस यूनिवर्सिटी, कोलकाता के छात्र थे। उन्हें व्याख्यानों, व्यावहारिक अभ्यासों, समूह चर्चाओं, क्षेत्रीय दौरा और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।



▶ एपीएसएचआरसी के प्रशिक्षु चिम्पू स्थित पुलिस थाने का दौरा करते हुए

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

जुलाई 2026 के दौरान, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई मामलों का संज्ञान लिया और स्वतंत्र जांच, साक्ष्य संरक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। इनमें गुरुग्राम और अंबाला कैट में हिरासत में यातना के आरोप, नीमका जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत और फरीदाबाद में एक वकील की कथित अवैध हिरासत और हिरासत में मारपीट शामिल थी।

एचएसएचआरसी ने फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में शवगृह सुविधाओं के आवधिक



▶ एचएसएचआरसी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए

निरीक्षण का निर्देश दिया, पंचकुला में जलभराव वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत का आदेश दिया और मधुबन स्थित सुरक्षा स्थल पर बच्चों पर कथित हमले के संबंध में रिपोर्ट मांगी।

आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर बाल देखभाल संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें मिशन वात्सल्य के तहत भरण-पोषण अनुदानों के समय पर वितरण और बच्चों के लिए पहचान दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एचएसएचआरसी के सदस्य श्री दीप भाटिया ने बाल कल्याण उपायों की समीक्षा के लिए फरीदाबाद स्थित एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज का दौरा किया।

एचएसएचआरसी ने एनएचआरसी के विशेष मॉनीटर श्री धनंजय टिगल के साथ बाल अधिकारों, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुद्दों पर, बचाव, पुनर्वास, पीड़ित मुआवजा, अंतर-विभागीय समन्वय और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त समीक्षा बैठक भी आयोजित की।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

जुलाई 2026 में, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार जागरूकता को मजबूत करने और शिकायतों के समय पर निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कीं। अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर में आयोग के मित्रों से बातचीत की। उन्होंने मानव अधिकार उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने और बच्चों के कल्याण, स्कूल बैग का वजन कम करने, स्कूल बसों और वैन में भीड़भाड़, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सामाजिक और सामुदायिक

कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मानवीय सेवा, नैतिक मूल्यों और युवा विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं।

आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, दुर्घटना में हुई मौतों, चिकित्सा लापरवाही, वन्यजीवों के हमलों, पुलिस की ज्यादतियों और अन्य मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 12 मामलों में कानूनी वारिसों को कुल 45.20 लाख रुपये की राहत राशि मिली, जबकि अन्य पीड़ितों के लिए मुआवजा और लंबित सेवा लाभ भी सुनिश्चित किए गए।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

जुलाई 2026 में, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीजीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार उल्लंघन के चार मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें मंचरियाल के बीसी गर्ल्स गुरुकुल स्कूल और नागरकुर्नूल के प्रोजेक्ट ट्राइबल वेलफेयर बॉयज गुरुकुल में कथित तौर पर खाद्य विषाक्तता की दो घटनाएं शामिल हैं। अन्य दो मामले राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक चार वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते के हमले और तेलंगाना भर के सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त कक्षाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं, जिनके संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

एक सफाईकर्म की मृत्यु के मामले में, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने टीएसएचआरसी की सिफारिश का अनुपालन करते हुए 15.50 लाख रुपये का अनुग्रह भुगतान किया, नियमों के अनुसार पीड़ित के पात्र परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कचरा स्थानांतरण स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया।

संक्षेप में समाचार

- 2 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने राजस्थान के जयपुर स्थित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन' विषय पर 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) में भाग लिया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक श्री संजीव शर्मा भी उपस्थित थे।
- 9 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के संयुक्त



सचिव, श्री समीर कुमार ने 'पीढ़ी दर पीढ़ी वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच में आने वाली सामाजिक बाधाएं' शीर्षक वाली शोध परियोजना की ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसे आयोग द्वारा समवेदना, आरएसीई लैब, भोपाल, मध्य प्रदेश को प्रायोजित किया गया था।

- 14 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित जेल एवं सुधार प्रशासन अकादमी में 'जेलों में मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति' विषय पर एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया। इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रशिक्षु और सेवारत जेल अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार है और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, जेल में प्रवेश के समय कैदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए एनएचसीआर के निर्धारित प्रपत्र, टेली-मेडिसिन और चिकित्सा अधिकारी एवं मनोवैज्ञानिक द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला।

डॉ. चंद्र ने आम जनता और कैदियों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर भी चर्चा की, एनडीपीएस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, विशेष रूप से उपचार चाहने वाले व्यसनी व्यक्तियों को मिलने वाली सुरक्षा से संबंधित धारा 64ए की व्याख्या की और विभिन्न राज्यों की नशामुक्ति पहलों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। उन्होंने अधिकारियों को कैदियों द्वारा जानबूझकर आत्महानि और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए एनएचआरसी की सलाह और नशामुक्त भारत अभियान के पालन के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ।

- 18 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा में आयोजित 'दीक्षारम्भ 2026' छात्र प्रेरण कार्यक्रम के चौथे दिन मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
- 18 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2023' पर राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के परामर्श से कानूनी स्पष्टता, साहस और वास्तविक सुधार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता आती है, जिससे भारत में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक समावेशी, डिजिटल और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण होता है। उन्होंने आवश्यक संसाधनों और प्रतिबद्धता से लैस मजबूत, पारदर्शी



और सक्रिय आंतरिक समितियों को सुनिश्चित करके एक सुरक्षित परिसर और कार्यस्थल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

- 20 से 24 जुलाई 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के निदेशक श्री इरशाद आलम और वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक श्री संजीव शर्मा ने पणजी, गोवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर पांच दिवसीय गहन कार्यक्रम में भाग लिया।
- 21 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने एनएफएसयू दिल्ली में 'कैदियों के अधिकारों के संदर्भ में जेलों में मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति' विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। यह सत्र मॉरीशस के अधिकारियों के लिए आयोजित दो सप्ताह के सुधारात्मक प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। उन्होंने कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के कानूनी ढांचे और एनएचआरसी की पहलों, जिनमें टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य जांच और आत्महत्या रोकथाम शामिल हैं, पर प्रकाश डाला।

भारत में जेलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और नशामुक्ति के लिए अपनाए गए समन्वित दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य संस्थानों, सुधार सेवाओं और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग शामिल है। मादक पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम, भारत की नशामुक्त भारत नीति और महिला कैदियों, जिनमें उनके साथ रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, के लिए लिंग-संवेदनशील उपायों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।



- 22 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्मार्ट पुलिसिंग द्वारा आयोजित पुलिस इमेज लेक्चर सीरीज के अंतर्गत, एनएचआरसी के एसएसपी श्री युवराज ने 'जनता के विश्वास और मानवाधिकारों के लिए प्रभावी पुलिसिंग' विषय पर एक ऑनलाइन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार, जनता का विश्वास और प्रभावी पुलिसिंग आधुनिक कानून प्रवर्तन के परस्पर निर्भर स्तंभ हैं और भारत के स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में हुए बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल, नए आपराधिक कानून, एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली, महिला सुरक्षा योजनाएं, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, गृह मंत्रालय की पुलिस स्टेशन रैंकिंग पहल और अभिज्ञान ऐप का उल्लेख करते हुए मानव अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका पर जोर दिया।

- 24 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने विश्व मंगल्या सभा (वीएमएस) द्वारा डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित समकालीन मातृत्व पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में कार्य-जीवन संतुलन, पारिवारिक मूल्यों और माताओं के लिए आधुनिक तकनीकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तरी राज्यों की 800 से अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया।
- 25 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कट्टनकुलथुर कैपस, चेन्नई, तमिलनाडु में एसआरएम लॉ स्कूल, चेन्नई के नए छात्रों के लिए आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने 2026 बैच के छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शरणार्थी कानून केंद्र का भी शुभारंभ किया।
- 29 जुलाई 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्र ने लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कारागार मुख्यालय का दौरा किया और डीजीपी श्री पी.सी. मीना से मुलाकात कर कारागार सुधारों और मानव अधिकारों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कैदियों के कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और अन्य सुधारात्मक उपायों से संबंधित पहलों का आकलन किया। उन्होंने कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों से सर्वोत्तम प्रथाओं को एनएचसीआर के साथ साझा करने का आग्रह किया।
- उन्होंने एआई-आधारित एकीकृत निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष, जेल संग्रहालय और कैदियों के कौशल विकास को प्रदर्शित करने वाली 'एक जेल-एक उत्पाद' गैलरी का भी दौरा किया। इससे पहले, डॉ. चंद्र ने लखनऊ स्थित डॉ. आर.एम.एल. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बीए और एल.एल.बी. के नए स्नातकों के ओरिएंटेशन को संबोधित किया और छात्रों से सामुदायिक संपर्क, कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने का आग्रह किया।



आगामी कार्यक्रम

2 और 3 सितंबर 2026 को एनएचआरसी, भारत द्वारा गुजरात में जन सुनवाई और शिविर बैठक आयोजित की जाएगी।

14 और 19 सितंबर 2026 को एनएचआरसी, भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

14 से 25 सितंबर, 2026 तक एनएचआरसी, भारत द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरनशिप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जुलाई 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	4,212
निपटाए गए मामलों की संख्या, जिनमें पुराने मामले भी शामिल हैं	6,106
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	39,397

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी



सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मद्रिता, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनदित : हिंदी अनभाग : राष्ठीय मानव अधिकार आयोग



covdnhrc@nic.in



www.nhrc.nic.in



@India NHRC



@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95